

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन नं: 0141-2709114

शिक्षा भवन अधिकारी
जारी किया गया अधिकारी

फैक्स: 0141-2701822

email : rajssa_cmecc@yahoo.com

क्रमांक : राष्ट्रीय / जय / सामुगति / पीटीए / 2018-19 / 2733

दिनांक : 26/6/18

अध्यापक-अभिभावक परिषद (PTA) की दिनांक 02.07.18 को आयोज्य विशेष बैठक हेतु दिशा-निर्देशः

शासकीय निर्देशानुसार मिड-डे-मील योजनान्तर्गत समस्त राजकीय विद्यालयों एवं संस्थाओं के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में तीन बार दूध पोषाहर उपलब्ध करवाने बाबत विस्तृत निर्देश पत्र क्रमांक : शिविरा / माध्य / मा-स / 22473 / मिड डे मील / 2014-17 / 239 दिनांक 07.06.2018 द्वारा प्रदान किए गए हैं। उक्त निर्देशानुसार इस योजना के शुभारम्भ दिनांक : 02 जुलाई, 2018 के अवसर पर समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्यापक-अभिभावक परिषद (PTA) की विशेष बैठक का आयोजन किया जाना है, उक्त बैठक में विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के अभिभावक गण, SMC/SDMC सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि गण, दानदाताओं, भाषाशाहों एवं गणमान्य नागरिकों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित किए जाने हेतु संस्था प्रधान एवं स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रवेशोत्तर द्वितीय चरण के दौरान आयोज्य गतिविधियों के साथ-साथ उक्त विशेष PTM में अधिकाधिक जनभागीदारी हेतु विशिष्ट प्रयास किए जाएं।

पूर्व की तैयारी एवं दायित्व :-

अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक तभी सार्थक होगी, जब उक्त परिषद के सभी घटक अग्रांकित विवरणानुसार निर्देशित दायित्वों का समुचित निर्वहन करेंगे।

1. संस्था प्रधान एवं शिक्षक गुण :-

- बैठक की निर्धारित तिथि से दो सप्ताह पूर्व अभिभावकों को निमन्त्रण पत्र भेजे जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करना।
 - SDMC/SMC सदस्यों को समस्त अभिभावकों को बैठक में सम्मिलित होने हेतु घर-घर जाकर सूचित/निमंत्रित करने हेतु प्रेरित करना।
 - विद्यालय भवन/परिसर के बाहर की तरफ बैठक सूचना सम्बन्धी पोस्टर चिपकाना तथा स्थानीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों (मन्दिर/मस्जिद, बस स्टैण्ड, बाजार, सामुदायिक केन्द्र आदि) पर भी पोस्टर चिपकाने एवं संभव होने पर सार्वजनिक घोषणा की कार्यवाही प्रारम्भ करना।
 - बैठक दिवस को अभिभावकों के लिए समुचित बैठक व्यवस्था एवं पेयजल की आवश्यकतानुसार उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना।
 - स्कूल डायरी/एस.एम.एस./व्हाट्स-एप/पत्र द्वारा अभिभावकों को बैठक हेतु स्मरण पत्र भिजवाना।
 - विद्यालय स्टाफ के साथ पूर्व तैयारी बैठक कर संयुक्त बैठक के दौरान अभिभावकों के साथ सम्मानजनक एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार हेतु आवश्यक निर्देश तथा सुझाव देते हुए अभिभावकों/आमंत्रित अतिथियों के उचित सत्कार की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
 - बैठक के आगामी दिवस को शाला दर्शन पर बैठक में उपस्थित अभिभावकों का उपस्थिति विवरण दर्ज करना।
 - बैठक में अनुपस्थित अभिभावकों को आगामी बैठक में भाग लेने हेतु सूचना/स्मरण पत्र प्रेषित करना।
 - विगत सत्र में अध्यापक-अभिभावक परिषद की समस्त बैठकों में भागीदारी करने वाले अभिभावकों को आभार झापित करना।
2. जिला शिक्षा अधिकारी एवं मण्डल उप निदेशक :-
- बैठक के दो सप्ताह पूर्व से क्षेत्राधिकार के विद्यालयों द्वारा बैठक में भागीदारी हेतु निमन्त्रण पत्र भेजे जाने की कार्यवाही का सम्मुचित पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन करना।

- जिला कलेक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समुचित समन्वय एवं सम्पर्क कायम करते हुए बैठक के विस्तृत प्रचार-प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित करना एवं बैठक की सार्थक सफलता हेतु स्थानीय प्रशासन तंत्र का उचित एवं आवश्यक सहयोग प्राप्त करने तथा जिला/उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा बैठक दिवस को विद्यालयों में बैठक अवलोकन हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए अवलोकनोपरान्त रिपोर्ट निर्धारित ऑनलाईन प्रपत्र में तत्त्विवस ऑनलाईन फीडिंग लिंक : <http://tinyurl.com/PTA-Monitoring-Form> पर अपलोड किये जाने हेतु आग्रह करना। उक्तानुरूप जिले में कार्यरत अधिकारियों के विद्यालय अवलोकन हेतु आवश्यकतानुसार व्यवस्थाएं भी जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर की जानी हैं।
- जिला स्तर पर क्लाट्स-एप ग्रुप/एस.एम.एस./इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों/प्रिन्ट मीडिया का यथोचित उपराग बैठक के प्रचार-प्रसार एवं अभिभावकों की अधिकाधिक भागीदारी हेतु सुनिश्चित करना।
- अत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में बैठक दिवस को बैठक व्यवस्था एवं पेयजल तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु संस्था प्रधानों का आवश्यकतानुसार सम्बलन एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
- जिला शिक्षा अधिकारी एवं मण्डल कार्यालय में पदरथापित समस्त अधिकारियों द्वारा बैठक दिवस को क्षेत्राधिकार में विद्यालयों का बैठक अवलोकन हेतु भ्रमण कार्यक्रम निर्मित कर निर्धारित अवलोकन प्रपत्र में तत्त्विवस ऑन लाईन फीडिंग (लिंक <http://tinyurl.com/PTA-Monitoring-Form>) सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करना।
- बैठक दिवस के तत्काल पश्चात बैठक में अभिभावक उपस्थिति विवरण क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों द्वारा शाला दर्शन पर अंकित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करना।

3. अध्यापक-अभिभावक परिषद की विशेष बैठक की रूपरेखा :-

क्र. सं.	करणीय कार्यवाही	निर्धारित समयावधि
(i)	<p>प्रार्थना-सभा में भागीदारी :-</p> <ul style="list-style-type: none"> विद्यालय की प्रार्थना सभा में अभिभावकों को सम्मिलित किया जावे। एक दो सारकृतिक प्रस्तुतियों वालक-वालिकाओं द्वारा दी जाए। इसका उद्देश्य वालक-वालिकाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना हो। 	प्रार्थना सभा - 25 मिनट
(ii)	<p>पारस्परिक सम्बाद :-</p> <ul style="list-style-type: none"> पांचवीं बोर्ड व आठवीं बोर्ड के सम्पूर्ण परीक्षा परिणाम का विस्तृत विश्लेषण उक्त बैठक से पूर्व तैयार किया जाकर अभिभावकों के समझ बोर्ड परीक्षा परिणाम का विस्तृत विवेचन संस्था प्रधान द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। बार्ड परीक्षा में अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों की विशिष्ट बैठक सम्बन्धित कक्षाध्यापक/विषयाध्यापक के साथ करवाई जाकर आगामी परीक्षा हेतु उक्त समस्त विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रयासों की रूपरेखा सत्रारम्भ में ही निर्मित करते हुए इसकी अवगति समस्त सम्बन्धित अभिभावकों को उक्त बैठक में प्रदान की जानी सुनिश्चित की जाएगी। 	आवश्यकतानुसार
(iii)	<p>PTM आयोजन के विशिष्ट उद्देश्य “अन्नपूर्णा दूध योजना” के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा :-</p> <ul style="list-style-type: none"> विद्यालय के शिक्षक गणों में से किसी विज्ञ जन द्वारा मिड-डे-मील योजनान्तर्गत समस्त राजकीय विद्यालयों एवं संस्थाओं के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में तीन बार दूध पोषाहर उपलब्ध करवाने वावत PTM आयोजन के दिवस से सम्पूर्ण राज्य में आरम्भ की जा रही “अन्नपूर्णा दूध योजना” के समस्त प्रावधानों से समस्त अभिभावकों एवं उपस्थित आगन्तुक गणों को अवगत करवाया जाएगा। उक्त बावत पूर्वाल्लेखित विभागीय निर्देश पत्र दिनांक : 07.06.2018 में उक्त योजना एवं कार्यक्रम से सम्बन्धित सम्पूर्ण विषय सामग्री एवं प्रावधानों का अध्ययन सम्बन्धित विज्ञ जन द्वारा किया जाएगा तथा अभिभावक एवं आगन्तुक गण द्वारा योजना से सम्बन्धित जिज्ञासाओं का समाधान भी तदनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे पूर्व प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजन के द्वितीय चरण में स्थानीय जनसमुदाय एवं अभिभावक गणों से सम्पर्क के दौरान समस्त स्टाफ सदस्यों द्वारा “अन्नपूर्णा दूध 	आवश्यकतानुसार

	योजना के सम्बन्ध में आवश्यक रूप से समस्त ग्रामवासियों एवं अभिभावकों को अवगति प्रदान की जाएगी।	
(iv)	संस्था प्रधान का उद्बोधन :- <ul style="list-style-type: none"> • विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक उपलब्धियां। • पांचवीं बोर्ड व आठवीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम के सम्बन्ध में अभिभावकों को अवगत करवाते हुए उसके आधार पर विद्यालय विकास योजना (S.D.P.) के समुचित क्रियान्वयन की जानकारी। • विद्यार्थियों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति, गृहकार्य एवं नियमित अध्ययन में अभिभावकों के सहयोग के सम्बन्ध में जागरूकता का संदेश देना। • विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता वाबत् दायित्वों का उल्लेख करना। 	30 मिनट

4. अध्यापक—अभिभावक परिषद की बैठक के पश्चात विद्यालय द्वारा करणीय कार्यवाही :-

- बैठक में उपस्थित अभिभावकों का संस्था प्रधान द्वारा उसी दिवस को नियत प्रारूप-1 (संलग्न परिशिष्ट-1) में हस्ताक्षर करवाकर अभिलेखों में ऑकन करवाना।
- बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों को संस्था प्रधान द्वारा उसी दिवस को नियत प्रारूप-2 (संलग्न परिशिष्ट-2) में पत्र जारी कर इस हेतु सूचित किया जाएगा एवं आगामी बैठक में भाग लेने हेतु आग्रह किया जाएगा।
- बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों का विवरण संस्था प्रधान द्वारा नियत प्रारूप-3 (संलग्न परिशिष्ट-3) में संधारित किया जाएगा।

बैठक में अभिभावकों की उपस्थिति का विवरण बैठक दिवस के आगामी कार्य दिवस तक आवश्यक रूप से शाला दर्शन में अपलोड किया जाएगा। इस हेतु विद्यालय के शाला दर्शन को लॉग-इन करते ही "POP-up" WINDOW प्रदर्शित होगी, जिसमें PTM से सम्बन्धित वांछित सूचनाएं फीड कर Save करें।

संलग्न :- परिशिष्ट 1, 2 व 3

(डॉ. जोगाराम)

आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद
जयपुर

दिनांक : २१/१/१४

क्रमांक : राप्राशिप / जय / सामुगति / पीटीए / 2018-19 / २७३६

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. समरत जिला कलक्टर को प्रेषित कर निवेदन है कि जिला/उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों को जिले के विद्यालयों में दिनांक : 15.02.2018 को आयोजित होने वाली अध्यापक—अभिभावक परिषद की बैठक (PTM) में भागीदारी निभाने एवं मोनिटरिंग प्रपत्र की ऑनलाइन फीडिंग हेतु निर्देशित करने का श्रम करें।
5. अतिरिक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. समस्त मण्डल उप निदेशक, प्रारम्भिक को प्रेषित कर लेख है कि परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों में अध्यापक—अभिभावक परिषद की बैठक प्रदत्त दिशा—निर्देशों के अनुरूप आयोजित किए जाने हेतु अधीनस्थ जिला कार्यालयों का समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रवोधन सुनिश्चित करते हुए स्वयं तथा कार्यालय के अधीनस्थ शिक्षाधिकारियों द्वारा उक्त बैठकों में भाग लेकर पूर्वोल्लेखित मोनिटरिंग फार्म की ऑनलाइन पूर्ति(लिंक <http://tinyurl.com/PTA-Monitoring-Form>) करना व करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त निर्देशों की क्रियान्वित क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाना सुनिश्चित करें।
8. सहायक निदेशक, शाला दर्शन, कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।

(सुरेश चन्द्र)

अतिरिक्त राज्य परियोजना
निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा
परिषद, जयपुर

www.rajteachers.com

बैठक में उपस्थित रहने वाले अभिभावकों के विवरण का प्रारूप

अध्यापक—अभिभावक परिषद : राजकीयविद्यालय.....

आदरणीय / आदरणीया

शुभाभिवादन !

विद्यालय में दिनांक 02.07.2018 को आयोजित अध्यापक—अभिभावक परिषद की बैठक में आपकी उपस्थिति हेतु परिषद आपका आभार ज्ञापित करती है :—

क्र.सं.	विद्यार्थियों के नाम, जिनके एक अथवा दोनों अभिभावकों ने बैठक में भाग लिया	नाम अभिभावक	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

धन्यवाद!

संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर

मय मुहर

बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों को प्रेषणीय पत्र का प्रारूप

अध्यापक-अभिभावक परिषद : राजकीयविद्यालय.....

आदरणीय / आदरणीया

शुभाभिवादन !

विद्यालय में दिनांक 02.07.2018 को आयोजित अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक में सादर उपस्थिति हेतु आपसे आग्रह किया गया था। आप के अनुपस्थित रहने से महत्वपूर्ण विमर्श में आपकी भागीदारी नहीं हो सकी और न ही आपके पुत्र/पुत्री..... (विद्यार्थी का नाम), कक्षा.....वर्ग.....की शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक प्रगति/आवश्यकताओं से सम्बन्धित अवगति दी जा सकी। अतः आपसे आग्रह है कि आगामी कार्य दिवस को विद्यालय में उपस्थित होकर विद्यार्थी की प्रगति एवं बैठक के विमर्श के निर्णयों एवं सुझावों की अवगति प्राप्त करले।

आपसे यह भी अनुरोध है कि अध्यापक-अभिभावक परिषद की आगामी बैठक में अपने पुत्र/पुत्री की शैक्षिक लक्ष्य एवं विद्यालय से सम्बन्धित अन्य आवश्यक एवं महत्वपूर्ण जानकरियों की अवगति प्राप्त करने हेतु अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करावें।

धन्यवाद!

संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर

मय मुहर

प्रारूप -3

—अध्यापक अभिभावक परिषद की बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों का विवरण:—

क्र.सं.	विद्यार्थियों के नाम, जिनके अभिभावकों ने बैठक दिनांक 02.07.2018 में भाग नहीं लिया	संस्था प्रधान द्वारा अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों को प्रेषित पत्र की दिनांक
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

www.rajteachers.com

संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर
मय मुहर